

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 791

2 Kartik, 1938 (S) Ranchi, Tuesday, 24th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

24th October, 2017

NOTIFICATION No- 39/2017 State Tax (Rate)

S.O. No. 111 - Dated- 24th October, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the state tax rate of 2.5 per cent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	Tariff item, sub- heading,	Description of Goods	Condition
110.	heading or	Goods	
	Chapter		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	put up in unit containers and	When the supplier of such food preparations produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government concerned to the effect that such food preparations have been

weaker sections	distributed free to the economically weaker
of the society	sections of the society under a programme
under a	duly approved by the Central Government or
programme duly	the State Government concerned, within a
approved by the	period of five months from the date of supply
Central	of such goods or within such further period as
Government or	the jurisdictional commissioner of the Central
any State	tax or jurisdictional commissioner of the
Government.	State tax, as the case maybe, may allow in
	this regard.

Explanation. -

- (1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
- 2. This notification shall be deemed to be effective from 18th October, 2017

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 24 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना सं0. 39/2017- राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰- 111 - दिनांक 24 अक्टूबर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है तथा जो उक्त तालिका के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, 2.5 प्रतिशत की राज्य कर की दर सूचित करती है, पर नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन अर्थात:-

तालिका

क्रम सं॰	अध्याय उपशी/शीर्ष/ र्ष	माल का विवरण	शर्त
	टैरिफमद		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	केन्द्रीय सरकार या	यदि खाद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी
		किसी राज्य सरकार	अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव
		द्वारा सम्यक रूप से	की पंक्ति से नीचे का नहीं है या सबंधित राज्य
		अनुमोदित किसी	सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का
		कार्यक्रम के अधीन	नहीं, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है
		समाज के आर्थिक	कि ऐसी खाद्य निर्मितियां केन्द्रीय सरकार या
		रूप से कमजार वर्गीं	राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित
		को निशुल्क वितरण	किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप
		के लिए आशयित	से कमजोर वर्गों को ऐसे माल की आपूर्ति की
		और यूनिट अभिधानों	तारीख से पांच मास की अवधि के भीतर या
		में रखी गई खाद्य	ऐसी और अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त
		निर्मितियां ।	केन्द्रीय कर आयुक्त के इस निमित्त अनुज्ञात
			करे, वितरित कर दी गई है।

स्पष्टीकरण-

- (i) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
- 2. यह अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
